अध्यक्ष के पटल से

05 जून 2024

बिहार राज्य जैव विवधता पर्षद के वेबसाइट के अवलोकन के लिए अभिवादन!

विश्व पर्यावरण दिवस – 05 जून 2024 के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के हित में जैव विविधता संरक्षण हेतु हम पुनः कृत संकल्प हों!

मानव जनित कारणों से जैव विविधता के ह्रास होने की समस्या से हम सभी अवगत हैं। हमें इसका भी संज्ञान है कि प्राकृतिक मूल्यों के संरक्षण, पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य एवं संतुलन तथा पर्यावरणीय संरक्षण के हितों से जैव विविधता का संरक्षण अभिन्न तथा केन्द्रीय रूप से जुड़ा हुआ है।

इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में देश में जैव विवधता संरक्षण हेतु विशेष प्रतिबद्ध नीति और कानून 21वीं सदी के प्रारम्भ में लाया गया।

बिहार राज्य जैव विवधता पर्षद का दायित्व इन्ही नीति और कानून– जैव विवधता अधिनियम 2002 (संशोधित 2023) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की है।

2. वर्ष 2017 में गठित इस पर्षद के प्रयास से राज्य में जैव विविधता संरक्षण के हितार्थ संस्थागत एक कार्यक्रम आधारित कतिपय कार्य सम्पादित हुए हैं।

जैव विविधता संरक्षण नीति एवं कानून के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत, प्रखण्ड, जिला तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत) की संस्थागत भूमिका का प्रावधान है।

अब तक राज्य में कुल 7860 ग्राम पंचायत 484 प्रखण्ड स्तरीय एवं 32 जिला स्तरीय ''जैव विविधता प्रबन्धन समिति'' का गठन हो चुका है। साथ ही 3 नगर निगम तथा 26 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जैव विविधता प्रबन्धन समिति का भी गठन हुआ है। अब हमारा लक्ष्य है कि अवशेष 198 ग्राम पंचायतों 50 प्रखण्ड स्तरीय, 16 नगर परिषद स्तरीय तथा 216 नगर परिशद व नगर पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबन्धन समिति का गठन यथाशीघ्र कर लिया जाए।

राज्य के सभी 8058 ग्राम पंचायतों की जन–जैव विविधता पंजी (Peoples Biodiversity Register) तैयार कर ली गयी है। नगर निकायों की जन जैव विविधता पंजी को यथाशीघ्र तैयार करना वांछित है।

इन संगठनात्मक एवं सांस्थानिक व्यवस्था की स्थापना हो जाने के उपरान्त अब आवश्यक है कि समस्त जैव विविधता प्रबन्ध समिति सक्रिय होकर अपने कार्यक्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण एवं इनसे संबंधित नीति एवं कानून के अनुसरण में को सुसंगत क्रिया–कलापों को व्यावहारिकता से अपनाएं। पर्षद इस दिशा में इन समितियों का मार्गदर्शन, सामर्थ्य संवर्धन एवं अन्य आवश्यक समर्थन करने के लिए वांछित कार्रवाई हेतु कृत संकल्प एवं तत्तपर है।

3. बिहार राज्य में जैव विविधता संरक्षण का पूर्व से ही सांस्कृतिक रूझान रहा है। यहाँ की जीवन शैली, कृषि, पशुपालन एवं मतस्यिकी में भी जैव विविधता संरक्षण के तत्व विद्यमान रहे हैं। विगत सदी में विश्व एवं देश के अन्य हिस्सों की भांति औद्योगिक विकास तथा नई कृषि प्रणाली इत्यादि के प्रतिकुल प्रभावों से जैव विविधता संरक्षण की यथेष्ट उपेक्षा

हुई। परन्तु अब दुनिया और देश में पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रति संवेदनशील जागरूकता के हितार्थ जैव विविधता संरक्षण के लिए बिहार राज्य में भी जागरूकता बढ़ रही है।

4. बिहार राज्य का लगभग 10% हिस्सा प्राकृतिक वन एवं अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों में अवस्थित है तथा 90% हिस्सा कृषि, नदियों के बाढ़–क्षेत्रों, शहरी, औद्योगिक एवं रैखिक अवसंरचनाओं रेल, हाइवे इत्यादि के अन्तर्गत अवस्थित है।

वर्त्तमान वैज्ञानिक सूझ–बूझ के प्रसंग में जैव विविधता के संरक्षण को बिहार राज्य के भौगोलिक एवं जनसंख्या के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में यह गौरतलब है कि जैव विविधता के संरक्षण को अल्पांश प्राकृतिक वन क्षेत्रों के बाहर भी व्यापक रूप से करने की संभावनाएँ भी हैं और चुनौतियाँ भी हैं।

इस वेबसाइट पर इन संभावनाओं और चुनौतियों तथा जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न आयामों, लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

इनमें विरासत वृक्षों की पहचान, जैव विविधता विरासत स्थल की पहचान एवं घोषणा, जैव विविधता महत्व के वृक्षावलियों की स्थापना तथा बीजू आम की उपयोगी प्रजातियों से संबंधित अध्ययन पर्षद के कुछ प्रारम्भिक पहल हैं।

5. जैव विविधता संरक्षण एक बहु–आयामी प्रकल्प है। इसी के संदर्भ में यह विषय विभिन्न हित–धारकों तथा पक्षकारों से जुड़ा है। इसमें आम नागरिकों, सरकारी एवं गैर–सरकारी कृषकों तथा भूमि एवं जल के उपयोग से सम्बद्ध सभी पक्षकारों की प्रगतिवादी सहभागिता अपेक्षित है।

यह पर्षद जैव विविधता सम्बन्धी अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु सभी पक्षकारों के सक्रिय सहयोग एवं पहल हेतु अपेक्षा करता है। खेतीबाड़ी से जुड़े वर्ग, वनों से संलग्न क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय तथा विद्यार्थी समुदाय से इस प्रयोजनार्थ विशेष अपेक्षाएं हैं।

आइए जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बिहार राज्य में महत्वपूर्ण एवं विलुप्तता की कगार पर स्थित जैविक प्रजातियों, उनके अनुवांशिक तत्वों तथा उनके अधिवास स्थलों (वनों, पहाड़ों, झील–ताल–मन, दियारा इत्यादि में अवस्थित जैव विविधता के प्राकृतिक भूखण्ड) को संरक्षित करने में योगदान करें। साथ ही इन से जुड़े परम्परागत ज्ञान, कारीगरी एवं प्रथाओं की पहचान कर उनके संरक्षण और समुचित वाणिज्यिक उपयोग की दिशा में योगदान दें।

ऐसा करके हम इस राज्य में प्राकृतिक मूल्यों का संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं पर्यावरणीय संरक्षण के हितों को साधन में महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। साथ ही जलवायु परिवर्त्तन के आघातों का सामना करने में भी सामर्थ्य की वृद्धि होगी।

भारत ज्योति